ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)

श्री योगेश कुमार पुत्र करनैल सिंह, वासी ललड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ·· वादी।

बनाम

आम जनता ·· प्रतिवादीगण।

दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल, वासी ललड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना, खेवट 620, 622, खतौनी 909, 907, जमाबन्दी साल 2018–19, महाल ललड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

श्री योगेश कुमार पुत्र करनैल सिंह, वासी ललड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन–पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड महाल ललड़ी, जमाबन्दी साल 2018–19 में प्रार्थी के पिता का नाम जरनैल सिंह पुत्र मुन्शी गलत दर्ज किया गया है। अतः प्रार्थी के पिता का नाम जरनैल सिंह पुत्र मुन्शी की बजाये जरनैल सिंह उर्फ करनैल सिंह पुत्र मुन्शी सही दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार अखवार/नोटिस व मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20–04–2024 को प्रातः 10.00 बजे से पहले अपना उजर लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर/एतराज इस न्यायालय में प्राप्त न हुआ तो यक–तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबिले समायत न होगा व न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर इस सन्दर्भ में फैसला सुनाया जाएगा।

आज दिनांक 05–03–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)

केस नं0 :	किस्म मुकद्दमा :	तारीख पेशी :
07/Corr./T/U /2024	नाम दुरुस्ती	23–04–2024

अंजू वाला पुत्री दिलवाग सिंह, वासी जलग्रां, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ·· वादिया।

बनाम

आम जनता ·· प्रतिवादी।

प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थिया अंजू वाला पुत्री दिलवाग सिंह, वासी जलग्रां, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख उप–महाल जलग्रां में कुमारी शैली दर्ज है जबकि उसका सही नाम अंजू वाला पुत्री दिलवाग सिंह है लिहाजा इसे दुरुस्त करके

अंजू वाला उर्फ कुमारी शैली किया जाए। प्रार्थिया का शपथ पत्र, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण–पत्र, नकल जमाबन्दी तथा अन्य कागजात मिसल साथ संलग्न हैं।

अतः नोटिस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक पेशी 23–04–2024 को सुबह 10 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्ती करने के आदेश दे दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 19–03–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0 प्र0)

केस नं0 :	किस्म मुकद्दमा :	तारीख दायर :	तारीख पेशी :
09/Marr. /T/U/2024	विवाह पंजीकरण	18–03–2024	30–04–2024

1. सुच्चा सिंह पुत्र मलकियत सिंह, निवासी बसोली रोड रक्कड़, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)।

2. रक्सैन कौर हाल पत्नी सुच्चा सिंह पुत्री स्व0 बचिंत सिंह, निवासी भैरा, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र शादी पंजीकरण सुच्चा सिंह पुत्र मलकियत सिंह, निवासी बसोली रोड रक्कड़, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) बाबत दिए जाने आदेश शादी पंजीकरण ने इस अदालत में एक प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उनकी शादी हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार दिनांक 19–05–1987 को रक्सैन कौर हाल पत्नी सुच्चा सिंह पुत्री स्व0 बचिंत सिंह, निवासी भैरा, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) से हुई है। परन्तु यह शादी सहबन गलती के कारण ग्राम पंचायत टब्बा के रजिस्टर में दर्ज न करवाई गई है उन्होंने इस शादी को ग्राम पंचायत में दर्ज करने के लिए अनुरोध किया है। प्रार्थी ने अपनी शादी की पुष्टि में आधार कार्ड, शपथ–पत्र, स्कूल प्रमाण–पत्र तथा अन्य दस्तावेज प्रार्थना–पत्र के साथ दायर करके आवेदन किया है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त विवाह पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक 30–04–2024 को सुबह 10 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा उपरोक्त विवाह पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 18–03–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–

कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)

केस नं0 :	किस्म मुकद्दमा :	तारीख पेशी :
09 / Corr./T/U /2024	नाम दुरुस्ती	30—04—2024

राम पाल पुत्र सतपाल, वासी वार्ड नं0 5, गांव भदसाली, उप—तहसील ईसपुर, जिला ऊना (हि0प्र0)
.. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

प्रार्थना—पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी राम पाल पुत्र सतपाल, वासी वार्ड नं0 5, गांव भदसाली, उप—तहसील ईसपुर, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल कोटला कलां में पवन कुमार पुत्र सतपाल दर्ज है जबकि उसका सही नाम राम पाल पुत्र सतपाल है लिहाजा इसे दुरुस्त करके पवन कुमार उर्फ राम पाल किया जाए। प्रार्थी का शपथ पत्र, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण—पत्र, नकल जमाबन्दी तथा अन्य कागजात मिसल साथ संलग्न हैं।

अतः नोटिस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक पेशी 30—04—2024 को सुबह 10 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्ती करने के आदेश दे दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 26—03—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)

केस नं0 :	किस्म मुकद्दमा :	तारीख पेशी :
08 / Corr./T/U /2024	नाम दुरुस्ती	30—04—2024

राम पाल पुत्र सतपाल, वासी वार्ड नं0 5, गांव भदसाली, उप—तहसील ईसपुर, जिला ऊना (हि0प्र0)
.. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी राम पाल पुत्र सतपाल, वासी वार्ड नं0 5, गांव भदसाली, उप–तहसील ईसपुर, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख उप–महाल निचला कोटला कलां में पवन कुमार पुत्र सतपाल दर्ज है जबकि उसका सही नाम राम पाल पुत्र सतपाल है लिहाजा इसे दुरुस्त करके पवन कुमार उर्फ राम पाल किया जाए। प्रार्थी का शपथ पत्र, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण–पत्र, नकल जमाबन्दी तथा अन्य कागजात मिसल साथ संलग्न हैं।

अतः नोटिस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक पेशी 30–04–2024 को सुबह 10 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्ती करने के आदेश दे दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 26–03–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)

केस नं0 :	किस्म मुकद्दमा :	तारीख पेशी :
12/Corr./T/U /2024	नाम दुरुस्ती	06–05–2024

हरि मोहिन्दर मोहन पुत्र गुरवचन सिंह, वासी गांव व डा0 जलग्रां टब्बा, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ..वादी।

बनाम

आम जनता ..प्रतिवादी।

प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी हरि मोहिन्दर मोहन पुत्र गुरवचन सिंह, वासी गांव व डा0 जलग्रां टब्बा, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल कोटला कलां में हरविन्द्र सिंह पुत्र सावित्री देवी दर्ज है जबकि उसका सही नाम हरि मोहिन्दर मोहन है लिहाजा इसे दुरुस्त करके हरविन्द्र सिंह उर्फ हरि मोहिन्दर मोहन किया जाए। प्रार्थी का शपथ पत्र, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण–पत्र, नकल जमाबन्दी तथा अन्य कागजात मिसल साथ संलग्न हैं।

अतः नोटिस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक पेशी 06–05–2024 को सुबह 10 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्ती करने के आदेश दे दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 02–04–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/–

कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0प्र0)

केस नं0 :	किस्म मुकद्दमा :	तारीख दायर :	तारीख पेशी :
22 / 2024	विवाह पंजीकरण	21—03—2024	06—05—2024

1. रजत पराशर पुत्र मोहन पराशर, हाऊस नं0 37, शिव को—ऑपरेटिव सोसाइटी रक्कड़ कॉलोनी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)।

2. अविता शर्मा पुत्री सुरेश कुमार शर्मा, निवासी ब्रेट, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र शादी पंजीकरण रजत पराशर पुत्र मोहन पराशर, हाऊस नं0 37, शिव को—ऑपरेटिव सोसाइटी रक्कड़ कॉलोनी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) बाबत दिए जाने आदेश रजिस्ट्रेशन शादी ग्राम पंचायत टब्बा में दर्ज करने बारे।

प्रार्थना—पत्र शादी पंजीकरण रजत पराशर पुत्र मोहन पराशर, हाऊस नं0 37, शिव को—ऑपरेटिव सोसाइटी रक्कड़ कॉलोनी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)ने इस अदालत में एक प्रार्थना—पत्र दायर किया है कि उनकी शादी हिन्दू रीति—रिवाज के अनुसार दिनांक 28—11—2021 को अविता शर्मा पुत्री सुरेश कुमार शर्मा, निवासी ब्रेट, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) से हुई है। परन्तु यह शादी सहबन गलती के कारण ग्राम पंचायत टब्बा के रजिस्टर में दर्ज न करवाई गई है उन्होंने इस शादी को ग्राम पंचायत टब्बा में दर्ज करने के लिए अनुरोध किया है। प्रार्थी ने अपनी शादी की पुष्टि में आधार कार्ड, शपथ—पत्र तथा अन्य दस्तावेज प्रार्थना—पत्र के साथ दायर करके आवेदन किया है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त विवाह पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो तारीख पेशी 06—05—2024 को सुबह 10 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा उपरोक्त विवाह पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर / एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 04—04—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0प्र0)

केस नं0 :	किस्म मुकद्दमा :	तारीख दायर :	तारीख पेशी :

23/ 2024 विवाह पंजीकरण 20–03–2024 06–05–2024

1. धर्मपाल जसवाल पुत्र ठाकुर सीस राम, निवासी वार्ड नं0 4, पीरनिगाहा मार्ग ऊना, धर्म काटेज ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ।

2. रोशनी देवी जसवाल पुत्री जगदीश राम, निवासी डंगोली, डा0 डंगोली, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र शादी पंजीकरण धर्मपाल जसवाल पुत्र ठाकुर सीस राम, निवासी वार्ड नं0 4, पीरनिगाहा मार्ग ऊना, धर्म काटेज ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) बाबत दिए जाने आदेश रजिस्ट्रेशन शादी एम0सी0 ऊना में दर्ज करने बारे।

प्रार्थना–पत्र शादी पंजीकरण धर्मपाल जसवाल पुत्र ठाकुर सीस राम, निवासी वार्ड नं0 4, पीरनिगाहा मार्ग ऊना, धर्म काटेज ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उनकी शादी हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार दिनांक 28–04–1969 को रोशनी देवी जसवाल पुत्री जगदीश राम, निवासी डंगोली, डा0 डंगोली, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) से हुई है। परन्तु यह शादी सहबन गलती के कारण एम0सी0 ऊना के रजिस्टर में दर्ज न करवाई गई है उन्होंने इस शादी को एम0सी0 ऊना में दर्ज करने के लिए अनुरोध किया है। प्रार्थी ने अपनी शादी की पुष्टि में आधार कार्ड, शपथ–पत्र तथा अन्य दस्तावेज प्रार्थना–पत्र के साथ दायर करके आवेदन किया है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त विवाह पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो तारीख पेशी 06–05–2024 को सुबह 10 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा उपरोक्त विवाह पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 04–04–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, तहसील एवं जिला ऊना (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)

केस नं0 : 21/2024 किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण तारीख पेशी : 06–04–2024

1. गीता देवी पत्नी सतीश कुमार, निवासी लाल सिंगी, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ·· प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता ·· प्रत्यार्थी।

प्रार्थना–पत्र जन्म पंजीकरण प्रार्थिया गीता देवी पत्नी सतीश कुमार, निवासी लाल सिंगी, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) बाबत दिए जाने आदेश रजिस्ट्रेशन जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत लाल सिंगी, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)।

प्रार्थिया गीता देवी पत्नी सतीश कुमार, निवासी लाल सिंगी, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उसके पुत्र पूर्व का जन्म दिनांक 25–11–2016 को लाल सिंगी में हुआ था परन्तु यह जन्म पंजीकरण अनभिज्ञता के कारण ग्राम पंचायत लाल सिंगी के रजिस्टर में दर्ज न हो सका।

अतः इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 06–05–2024 को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5.00 बजे तक इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर ग्राम पंचायत लाल सिंगी को उक्त पंजीकरण करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 04–04–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)

केस नं0 :	किस्म मुकद्दमा :	तारीख पेशी :
10/Corr./T/U /2024	नाम दुरुस्ती	06–05–2024

राजिन्दर पाल पुत्र विशन दास, वासी कुठार कलां, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ..वादी।

बनाम

आम जनता ..प्रतिवादी।

प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी राजिन्दर पाल पुत्र विशन दास, वासी कुठार कलां, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल जनकौर में राजिन्दर कुमार पुत्र विशन दास दर्ज है जबकि उसका सही नाम राजिन्दर पाल पुत्र विशन है लिहाजा इसे दुरुस्त करके राजिन्दर कुमार उर्फ राजिन्दर पाल किया जाए। प्रार्थी का शपथ पत्र, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण–पत्र, नकल जमाबन्दी तथा अन्य कागजात मिसल साथ संलग्न हैं।

अतः नोटिस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक पेशी 06–05–2024 को सुबह 10 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्ती करने के आदेश दे दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 02–04–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)

केस नं0 :	किस्म मुकद्दमा :	तारीख पेशी :
11/Corr./T/U /2024	नाम दुरुस्ती	06–05–2024

रमन कुमारी पत्नी राजेश कुमार, वासी गांव व डा0 वडाला, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) .. वादिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थिया रमन कुमारी पत्नी राजेश कुमार, वासी गांव व डा0 वडाला, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल कोटला कलां में सुमन कुमारी पुत्री सावित्री देवी दर्ज है जबकि उसका सही नाम रमन कुमारी है लिहाजा इसे दुरुस्त करके सुमन कुमारी उर्फ रमन कुमारी किया जाए। प्रार्थी का शपथ पत्र, आधार कार्ड, नकल जमाबन्दी तथा अन्य कागजात मिसल साथ संलग्न हैं।

अतः नोटिस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक पेशी 06–05–2024 को सुबह 10 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्ती करने के आदेश दे दिए जाएंगे उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 02–04–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 01/NTB/Mis./2024 तारीख पेशी : 26–04–2024

सतीश कुमार

बनाम

आम जनता

विषय.—जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन पत्र।

सतीश कुमार पुत्र जोग राज, निवासी महाल पनेड़, उप—तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) ने शपथ—पत्र सहित आवेदन किया है कि उनकी जन्म तिथि 03—01—1971 (स्कूल प्रमाण—पत्र अनुसार) है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत थाना कलां, उप—तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में दर्ज न है लिहाजा जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को ग्राम पंचायत थाना कलां, उप—तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) राजस्व अभिलेख टीहरा खास, मौजा टीहरा, उप—तहसील बीहडूकलां, जिला ऊना (हि0प्र0) के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में प्रार्थी की जन्म तिथि 03—01—1971 को दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 26—04—2024 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज न प्राप्त होने की सूरत में हस्ब जाब्ता कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निर्णय कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 30—03—2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप—तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)

श्री सूरम सिंह पुत्र दाता राम पुत्र रला, वासी बाथड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादीगण।

दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल बाथड़ी, बाथड़ी बेला, तहसील हरोली, जिला ऊना, जमाबन्दी साल 2021—22, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

श्री सूरम सिंह पुत्र दाता राम पुत्र रला, वासी बाथड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड महाल बाथड़ी, बाथड़ी बेला, जमाबन्दी साल 2021—22 में प्रार्थी का नाम सूरमा सिंह पुत्र दाता राम गलत दर्ज किया गया है। अतः प्रार्थी का नाम सूरमा सिंह पुत्र दाता राम की बजाये सूरमा सिंह उर्फ सूरम सिंह पुत्र दाता राम सही दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार अखबार/नोटिस व मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 25—04—2024 को प्रातः 10.00 बजे से पहले अपना उजर लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर/एतराज इस न्यायालय में प्राप्त न हुआ तो यक—तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। निर्धारित

तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबिले समायत न होगा व न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर इस सन्दर्भ में फैसला सुनाया जाएगा।

आज दिनांक 05–04–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)

श्री हेम राज पुत्र हंस राज, वासी सैसौवाल, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

श्रीमती प्रियंका पुत्री अनील रणभिसे उम्र 32 वर्ष, जाति कृण, वासी दर्श सिध्दी, घर नं0 13, पाईपलाईन रोड, दिपक आर्ट जवल सावेड़ी रोड अहमदनगर महाराष्ट्र।

बनाम

आम जनता

आवेदन पत्र अधीन धारा 8(4) of Marriage Act, 1996 & Rule 4 (2) of 2004.

श्री हेम राज पुत्र हंस राज, वासी सैसौवाल, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी शादी दिनांक 17–01–2020 को प्रियंका अनील रणभिसे पुत्री अनील रणभिसे, वासी दर्श सिध्दी, घर नं0 13, पाईपलाईन रोड, दिपक आर्ट जवल सावेड़ी रोड अहमदनगर, महाराष्ट्र के साथ हुई है लेकिन उनकी शादी नगर पंचायत अभिलेख में दर्ज न है रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1969 के तहत सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने बारे प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस मुस्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो दिनांक 27–04–2024 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर उजर/एतराज पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर/एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा यह मान लिया जाएगा कि किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति न है और शादी तिथि सम्बन्धित रिकार्ड में दर्ज करने बारे नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाकर आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 27–03–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री संजय कुमार, नायब तहसीलदार, भू–व्यवस्था वृत्त, जिला ऊना (हि0प्र0)

मिसल नं0 : तारीख मरजुआ : 25–10–2023

नाम दुरुस्ती प्रार्थना–पत्र प्रार्थी पिरथी चन्द पुत्र निक्का राम पुत्र नानकू, निवासी गांव ज्वार, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) ·· वादी।

बनाम

आम जनता ·· प्रतिवादी।

प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी पिरथी चन्द पुत्र निक्का राम पुत्र नानकू, निवासी गांव ज्वार, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उसका नाम महाल ज्वार, तहसील अम्ब, जिला ऊना की जमाबन्दी साल 1982–83 के खाता/खतौनी नं0 170/276, खसरा नम्बरान 9–10–161, कित्ता 3 व खेवट/खतौनी नं0 219/325, खसरा नम्बर 121, 122, कित्ता 2 में पिरथी राज पुत्र निक्का पुत्र नानकू दर्ज है जबकि उसका सही नाम पिरथी चन्द पुत्र निक्का राम पुत्र नानकू है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके पिरथी राज उपनाम पिरथी चन्द पुत्र निक्का राम पुत्र नानकू किया जाये। प्रार्थी का शपथ–पत्र, रिपोर्ट उप–प्रधान ग्राम पंचायत ज्वार, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) नकल आधार कार्ड, नकल राशन कार्ड, नकल मैट्रिक प्रमाण मिसल साथ सलंग्न हैं।

अतः इस नोटिस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश व मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर होकर एक माह के अन्दर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 08–04–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/–
नायब तहसीलदार भू–व्यवस्था वृत्त,
जिला ऊना (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)

श्री सन्तोख सिंह पुत्र वचना राम, वासी बाथड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ·· वादी।

बनाम

आम जनता ·· प्रतिवादीगण।

दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल बाथड़ी बेला, तहसील हरोली, जिला ऊना, जमाबन्दी साल 2020–21, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

श्री सन्तोख सिंह पुत्र वचना राम, वासी बाथड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन–पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड महाल बाथड़ी बेला, जमाबन्दी साल 2020–21 में प्रार्थी के पिता का नाम वली राम पुत्र राम चन्द पुत्र निहाला गलत दर्ज किया गया है। अतः प्रार्थी के पिता का नाम वली राम पुत्र राम चन्द पुत्र निहाला की बजाये वली राम उर्फ वचना राम पुत्र राम चन्द पुत्र निहाला सही दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार अखबार/नोटिस व मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04–06–2024 को प्रातः 10.00 बजे से पहले अपना उजर लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर/एतराज इस न्यायालय में प्राप्त न हुआ तो यक–तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबिले समायत न होगा व न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर इस सन्दर्भ में फैसला सुनाया जाएगा।

आज दिनांक 05–04–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

————————